

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या / 2020 / 00843 / जिला-नागौर

रविन्द्र सिंह दत्तक पुत्र श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला-नागौर।

-----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती केसर कंवर पत्नी श्री भूरिया
2. मानाबक्ष उर्फ मातादीन पुत्र श्री भूरिया
समस्त जाति दरोगा, निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
3. ग्राम पंचायत खारिया जरिये सरपंच पंचायत समिति एवं तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. हल्का पटवारी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी जिला नागौर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956,
विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी
दिनांक 06-03-2020 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2016
बउनवान रविन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत खारिया व अन्य

- उपस्थित-
1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी
 2. श्री सलमान खान, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2

निर्णय

दिनांक:- 06-09-2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरितपुरा ग्राम पंचायत खारिया, पटवार हलका खारिया की भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 7.00 किस्म बारानी-3 में उम्मेद सिंह के परिवार का 19/140 हिस्सा है। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री सबल सिंह का जाति रस्म रिवाज एवं जरिये पंजीकृत गोदनामा दत्तक पुत्र होकर श्री उम्मेद सिंह का दिनांक 24-4-2003 को स्वर्गवास होने के बाद से ही श्री उम्मेद सिंह की संयुक्त खातेदारी एवं तन्हा खातेदारी की

आराजियात पर वैद्य उत्तराधिकारी होकर बहैसियत काबिज काश्त चला आ रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत खीरिया द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किये विधिक वारिसान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं मृतक उम्मेद सिंह के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 जो भूरिया दरोगा के वारिस है के नाम गलत तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-3-2020 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की नकले दिनांक 13-3-2020 को अभिभाषक से प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचित किया जिस पर अपीलार्थी दिनांक 23-3-2020 को जाकर अभिभाषक से सम्पर्क कर आवश्यक नकले एवं पत्रावलिा देकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की कानूनी राय दी जिस पर दिनांक 24-3-2020 को अपीलार्थी अजमेर जाकर अभिभाषक को समस्त दस्तावेज देकर कारोना के कारण लॉक डाउन होने के कारण अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि श्री उम्मेद सिंह प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वारिस नहीं है। श्री उम्मेद सिंह द्वारा अपने सगे भाई पृथ्वी सिंह के प्रपोत्र रविन्द्र सिंह को गोद लिया एवं श्री उम्मेद सिंह के समस्त कार्य रविन्द्र सिंह ने किये इसी कारण श्री उम्मेद सिंह द्वारा दिनांक 4-4-1996 को रविन्द्र सिंह के हक में दत्तक ग्रहण बाबत पंजीकृत गोदनामा रूबरू गवाहान निष्पादित किया गया क्योंकि श्री उम्मेद सिंह के कोई सन्तान नहीं थी तथा पत्नी श्रीमति सुगन कंवर का भी दिनांक 11-11-1990 को स्वर्गवास हो गया था। श्री उम्मेद सिंह द्वारा रविन्द्र सिंह को जाति रस्म रिवाज अनुसार दिनांक 22-11-1990 को गोद लिया जिसका उल्लेख राव नौरत सिंह पुत्र नादान सिंह की बही में उल्लेखित है। तत्पश्चात दिनांक 4-4-1996 का रूबरू गवाहान गोदनामा बहक रविन्द्रसिंह पंजीकृत कर निष्पादित करवा दिया गया। लेकिन उम्मेद सिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 271 ग्राम पंचायत खारिया द्वारा अवैधानिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को उम्मेद सिंह का वारिस अंकित करते हुए तस्दीक कर दिया।

उनका यह भी कथन है कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार उम्मेद सिंह के हिस्से की तन्हा खातेदारी की भूमिया हैं जिन पर पूर्व में उम्मेद सिंह तत्पश्चात अपीलार्थी काबिज काशत चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश अन्तर्गत नामान्तरकरण पारित किया है। नामान्तरकरण उत्तराधिकारिता के आधार पर तस्दीक किया है लेकिन मृतक उम्मेद सिंह के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि श्री उम्मेद सिंह का विवाह सम्वत् 1990 अर्थात् सन 1933 मे श्रीमती सुगन कंवर के साथ सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात राजपूत कन्याओं को विवाह के समय उनकी सेवा हेतु दासी साथ देने की प्रथा थी उक्त दासी का विवाह पुत्री के ससुरल के किसी दासी पुत्र के साथ सम्पन्न करवा दिया जाता था जिससे दासी का परिवार यथा पति एवं सन्तान पृथक परिवार होते थे। लेकिन जिस राजपूत कन्या को दासी दी जाती थी वह दासी ससुराल में राजपूत कन्या की सेवा भी करती थी। अतः राजपूत कन्या के ससुराल पक्ष ही दासी एवं

उसके परिवार के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते थे। राजपूत कन्या के पति की सम्पत्ति में कोई हिस्सा दासी को नहीं दिया जाता था ना ही दासी सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्ति की अधिकारिणी ही होती थी। उक्त प्रकरण में दासी का तो सन् 1933 में उम्मेद सिंह के विवाह के समय जन्म ही नहीं हुआ था वर्षों बाद सुगन कंवर ने ही अपने ससुराल निमोद के दासी पुत्र भूरिया दरोगा से केसर का विवाह करवाया जिससे केसर निमोद अपने पति भूरिया के पास ही रहती थी लेकिन सुगन कंवर की सेवा हेतु सुगन कंवर के घर पर रहकर कामकाज करती थी बदले में सुगन कंवर केसर का जीविकोपार्जन इत्यादि का इन्तजाम कर देती थी।

उनका यह भी तर्क है कि निर्वाचक नामावली सन् 1971 एवं 1975 में उम्मेद सिंह पुत्र सबल सिंह, सुगन कंवर पत्नी उम्मेद सिंह तथा केसर पत्नी भूरिया अंकित किया गया तत्पश्चात 1986 में उक्त तीनों के नाम यथावत अंकित कर मानाबक्ष पुत्र भूरिया एवं ओम पत्नी मानाबक्ष अंकित किया गया जिससे स्पष्ट है कि मानाबक्ष पुत्र भूरा का जन्म 1957 में केसर पत्नी भूरिया से हुआ तत्पश्चात दिनांक 11-11-1990 को श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह का स्वर्गवास हो जाने पर श्री उम्मेद सिंह की सम्पत्ति हड़प करने की नियत से निर्वाचक नामावली सन् 1998 में केसर पत्नी भूरिया तो केसर पत्नी उम्मेद सिंह उम्र 50 वर्ष के बजाय 65 वर्ष एवं मानाबक्ष पुत्र भूरिया के स्थान पर मातादीन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह तथा ओम कंवर पत्नी मानाबक्ष के स्थान पर ओम कंवर पत्नी मातादीन सिंह अंकित करवा कर समस्त अन्य दस्तावेजात में भी इसी प्रकार गैर कानूनी प्रविष्टिया अंकित करवाकर उम्मेदसिंह के वारिस बनने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि 1986 में अंकित केसर, मानाबक्ष एवं ओम कंवर जो भूरिया दरोगा के वारिस है ये ही 1998 में उम्मेद सिंह के वारिस बने है, मकान नम्बर जो निर्वाचक नामावली में अंकित है से होती है कि भूरिया के वारिस सेवा कार्य हेतु उम्मेद सिंह के मकान में ही रहते आये है। इस महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर ग्राम पंचायत एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण गोदनामा एवं वसीयत के बजाय विधिक वारिस केसर एवं मातादीन होना गलत रूप से अंकित कर उत्तराधिकारिता के आधार पर तस्दीक किये है जबकि उपरोक्तानुसार केसर एवं मातादीन तो भूरिया दरेगा के वारिस होना सिद्ध है। ग्राम पंचायत को विधिक वारिस घोषित कराने का क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे नामान्तरकरण स्वतः ही अवैध होकर निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत के पास निर्वाचक नामावलियां एवं सम्पूर्ण ग्रामवासी बतौर साक्षी एवं राजकीय दस्तावेज नामावली सन् 1971 से 1986 के अनुसार केसर पत्नी भूरिया सिद्ध है लेकिन केसर का भूरिया से विवाह विच्छेद होना सिद्ध नहीं एवं न ही केसर का उम्मेद सिंह के साथ विवाद होना ही सिद्ध

है। सन् 1986 में सुगन कंवर पत्नी उम्मेद सिंह एवं केसर पत्नी भूरिया अंकित है तथा मानाबक्ष पुत्र भूरिया भी अंकित है चूंकि व्यवहार वाद संख्या 47/2003 जो दिनांक 13-10-2016 को निश्चित हुआ के निर्णय के पृष्ठ संख्या 7 के अनुसार प्रतिवादी अधिवक्ता ने दोराने बहस तर्क दिया कि "केसर कंवर उम्मेद सिंह की दासी नहीं थी बल्कि उम्मेद सिंह की पहली पत्नी सुगन कंवर की मृत्यु हो जाने के बाद उम्मेद सिंह ने केसर कंवर से विवाह किया और उक्त विवाह से मातादीन उनका जायन्दा पुत्र उत्पन्न हुआ" इसी आधार पर ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण तस्दीक किया। जबकि सुगन कंवर का दिनांक 11-11-1990 को स्वर्गवास हुआ था उस समय निर्वाचक नामावली सन् 1986 के अनुसार मानाबक्ष पुत्र भूरिया 33 वर्ष का था इस प्रकार ना तो उम्मेद सिंह द्वारा केसर से विवाह करना सिद्ध है ना ही उम्मेद सिंह के नुतवे से केसर के मानाबक्ष पुत्र भूरिया उत्पन्न होना सिद्ध है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि मानाबक्ष रखेल का पुत्र माना जावे तो भी नामान्तरकरण को केसर की हद तक निरस्त करना चाहिए था जिससे भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय स्वयं द्वारा प्रदत्त फाईडिंग के विरुद्ध होकर काबिल निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 47/2003 दिनांक 13-10-2016 को निरस्त हुआ जिसमें पटवारी हल्का प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार था फिर भी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17-10-2016 को नामान्तरकरण भरा तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20-10-2016 को तस्दीक किया गया जबकि इजराय एवं अपील की मियाद अवधि से पूर्व नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता था। यहीं नहीं वाद पत्र निर्णित होने एवं अपील संख्या 87/2016 अन्दर मियाद प्रस्तुत होने से प्रकरण विवादित था जिससे नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत में निहित ही नहीं था। ग्राम हरितपुरा ग्राम पंचायत खीरिया की बैठक के कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 20-10-2016 में नामान्तरकरण संख्या 271 बाबत ना तो प्रस्ताव पारित हुआ ना ही कोई आदेश हुआ फिर भी नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत कर दिया गया एवं ग्राम पंचायत द्वार अवैध रूप से तस्दीक किया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के हक मे निष्पदित पंजीकृत गोदनामा दिनांक 4-4-1996 को केसर द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई न ही निरस्त करवाया गया है। एक बार दत्तक ग्रहण करने पर वह प्राकृतिक पुत्र की भांति माना जाता है एवं सभी विधिक हक अधिकार एवं स्वत्व तथा उत्तराधिकारिता ग्रहण करता है। अपीलार्थी उम्मेद सिंह का जायन्दा पुत्र की भांति ही दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम अनुसार माना जाता है। श्री उम्मेद सिंह द्वारा अपने जीवनकाल का पंजीकृत गोदनामा दिनांक 4-4-1996 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर कभी निरस्त नहीं करवाया गया बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा कूटरचना कर मुर्तिब दस्तावेजात की कडी में दिनांक 17-8-2001 को पश्चातवर्ती वसीयत जो

वैद्य साक्षियों की अनुपस्थिति में उम्मेदसिंह का बरगला कर मुर्तिब करवाई गई है, में अंकित करवा दिया कि मैं रविन्द्रसिंह के हक में निष्पादित गोदनामा दिनांक 4-4-1996 एवं वसीयत दिनांक 22-11-1990 को निरस्त करता हूँ, से गोदनामा निरस्त नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा धारा 133 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेकार्ड रूल्स, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम एवं मृतक श्री उम्मेद सिंह के वास्तविक विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं वास्तविक वारिसान को साक्ष्य तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-3-2020 एवं ग्राम हरितपुरा ग्राम पंचायत खीरिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 161/2000 रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरह व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2000 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के यहां प्रस्तुत किया गया था उसमें अपने संरक्षक जायन्दा माता लक्ष्मी कंवर पिता अजयपाल सिंह को माना गया है। स्व0 उम्मेद सिंह ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि मेरे द्वारा अपीलार्थी को कभी गोद नहीं लिया गया है छलपूर्वक एक वसीयत करवाई उसमें ही यह गोदनामा लिखा गया है। इसको भी दिनांक 17-8-2001 को उप पंजीयक कार्यालय में निरस्त कर दिया गया है। जब जायन्दा पुत्र हो तो गोदी पुत्र नहीं रख सकते हैं। केसर कंवर पत्नी उम्मेद सिंह के नाम पर सभी दस्तावेज हैं जैसे राशन कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच द्वारा जारी किया गया वारिसनामा व उसी अनुसार मातादीन के भी बतौर पुत्र दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण पत्र, बैंक द्वारा ऋण देने का प्रमाण पत्र में पिता का नाम मातादीन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह दर्ज चला आ रहा है जो बतौर साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश परबतसर के यहां एक वाद संख्या 47/2003 दीवनी मूल एवं दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 13-10-2016 को हो चुका है जिसमें उक्त वाद पत्र को अपीलार्थी रविन्द्र सिंह साबित नहीं कर पाया है। अपीलार्थी अपने आपको गोदी पुत्र साबित नहीं कर पाया है। श्री उम्मेद सिंह अपीलार्थी के कभी पिता नहीं रहे हैं न ही अपीलार्थी उम्मेद सिंह का दत्तक पुत्र है। अपीलार्थी अजयपाल सिंह का पुत्र निवासी निमोद जायन्दा पुत्र है। इस प्रकार स्व0 उम्मेद सिंह के स्थान पर ग्राम हरितपुरा ग्राम पंचायत खारिया, पटवार हलका खारिया की भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 7.00 किस्म बारानी-3 हिस्सा 19/140 में कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को जरिये उत्तराधिकारी स्वतः ही प्राप्त होने से

ग्राम पंचायत खारिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 स्वीकार किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई जो सही एवं विधि अनुसार की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि उम्मेद सिंह ने अपीलार्थी को अपने जीवनकाल में कभी गोद पुत्र नहीं रखा है अपीलार्थी द्वारा उम्मेद सिंह से छलकपट करके एक वसीयत लिखवाई गई जिसमें गोदनामा जोड़ा गया जिसको भी दिनांक 17-8-2001 को निरस्त कर दिया गया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामान्तरकरण जरिये वारिसान उत्तराधिकारी दर्ज हुआ है जो सही एवं विधिसम्मत है। स्व० उम्मेद सिंह के एक मात्र पुत्र मातादीन सिंह व पत्नी केशर कंवर उक्त खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 पटवारी हल्का ने बाद जांच करके स्व० उम्मेद सिंह के वारिसान की जांच करके सही किया गया है। अपीलार्थी स्वयं ग्राम निमोद में निवास करता है जिसके राशन कार्ड, पहचान पत्र, अंकतालिका सभी में उसके पिता का नाम अजयपाल सिंह दर्ज किया हुआ है। गोदी पुत्र स्व० उम्मेद सिंह का बताता है जो गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नामान्तरकरण जरिये उत्तराधिकारी अधिनियम के आधार पर भरा गया है जिसके पूरे प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी अपनी माता के साथ ग्राम निमोद में निवास करता है तथा उसका उम्मेद सिंह के परिवार के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं है। अपीलार्थी का नाम राशन कार्ड में अपनी माता लक्ष्मी कंवर के साथ दर्ज रहता आया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत राशन कार्ड की छाया प्रति से होती है। उम्मेद सिंह की पत्नी सुगन कंवर का देहान्त दिनांक 11-11-90 को हुआ है और वसीयत दिनांक 22-11-1990 को की गई है। उम्मेद सिंह की पत्नी का देहान्त हुए बारह दिन भी पूरे नहीं हुए तथा परिवार के सदस्यों ने मिलकर इस प्रकार वसीयतनामा तैयार किया गया जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। उम्मेद सिंह द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी गोदनामा दिनांक 4-4-1996 को पंजीकृत करवाया है जिसमें उम्मेद सिंह की पत्नी का देहान्त 1990 में ही हो चुका है तथा गोदनामा में रविन्द्र सिंह के प्राकृतिक माता-पिता की भी सहमति नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उम्मेद सिंह की पत्नी एवं पुत्र है जो कि रेकार्ड से स्पष्ट है। पटवारी हलका एवं ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात ही नामान्तरकरण संख्या 271 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी दत्तक पुत्र की हैसियत से द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-3-2020 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित किये हैं जिसमें गोदनामों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1998 में केसर कंवर /उम्मेद सिंह व संरक्षक माता मानाबक्ष/उम्मेद सिंह कैसे बने। अपीलार्थी को गोदपुत्र सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। प्रकरण संख्या 87/2016 लम्बित है। ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार तय करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिए। जहां तक अपीलांत के गोद पुत्र की हैसियत से मृतक की विरासत के नामान्तरकरण के नाम जोड़ने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर उसे गोदपुत्र होना नहीं माना तथा अपीलार्थी के गोद पुत्र होने संबंधी कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुए। केवल मृतक की पगड़ी दस्तूर एवं क्रियाकर्म कर देने मात्र से उसे गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में गोदनामा दिनांक 4-4-1996 को पंजीयन हुआ जिसमें उम्मेद सिंह की पत्नी का देहान्त 1990 में ही हो चुका है तथा गोदनामा में रविन्द्र सिंह के प्राकृतिक माता-पिता की सहमति भी नहीं है। किसी बच्चे को गोद लेते समय दोनों माता-पिता की सहमति होना आवश्यक है जबकि उम्मेद सिंह की पत्नी का देहान्त 1990 में ही हो चुका है तो ऐसी स्थिति में एक पिता या माता अपनी मर्जी से किसी को गोद नहीं ले सकता है गोद लेने के लिए दोनों माता पिता जीवित होने चाहिए तथा दोनों की सहमति होना आवश्यक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोदनामा वसीयतनामा दिनांक 4-4-1996 के अनुसार उम्मेद सिंह पुत्र सबल सिंह निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी द्वारा रविन्द्र सिंह पुत्र अजयपाल सिंह राजपूत निवासी निमोद तहसील डीडवाना को गोद लिया है तथा ग्राम हरितपुरा ग्राम पंचायत खारिया, पटवार हलका खारिया की भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 7.00 किस्म बरानी-3 में 19/140 हिस्सा कृषि भूमि में उम्मेद सिंह पुत्र सबल सिंह जाति राजपूत के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 में ग्राम पंचायत खारिया द्वारा केसर कंवर पत्नी उम्मेद सिंह, मातादीन सिंह पुत्र उम्मेदसिंह का नाम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों में मातादीन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह का नाम अंकित है। उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2000 रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरह दिनांक 5-4-2013 को खारिज हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र रविन्द्र सिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरह भी खारिज हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उम्मेद सिंह की पत्नी व पुत्र है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट

है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर एवं वारिस प्रमाण पत्र जारी कर पटवारी हलका एवं ग्राम पंचायत द्वारा जांच उपरान्त ही नामान्तकरण संख्या 271 दिनांक 20-10-2016 स्वीकृत किया है। स्व० उम्मेद सिंह की पत्नी सुगन कवर का देहान्त दिनांक 11-11-90 को हुआ है और वसीयत दिनांक 22-11-1990 को की गई है। उम्मेद सिंह की पत्नी का देहान्त हुए बारह दिन भी पूरे नहीं हुए तथा परिवार के सदस्यों ने मिलकर इस प्रकार वसीयतनामा तैयार किया गया जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-3-2020 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-3-2020 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2016 बउनवान रविन्द्र सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06-09-2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर